बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि०प्रा०(III) ब[3] –13/2016– /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7, राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी एवं राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105– बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0001– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड– एन 2203001050001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, एम०जे०सी० संख्या–1438/2015, शिवशंकर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत अधिसूचना संख्या–392, दिनांक 16.02.2017 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप संबंधित शिक्षकों के बकाये वेतन एवं भत्तादि के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्व निर्गत आवंटनादेशों के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से 31 मार्च 2017 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7, राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी एवं राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा को कुल रू० 1,20,54,000=00 (एक करोड़ बीस लाख चौवन हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

विषय शीर्ष	राजकीय पोलिटेकनिक पटना–7	राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी	राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा	अतिरिक्त आवंटित कुल राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
01 01 वेतन	1076000	2138000	1513000	4727000
01 03 जीवन यापन भत्ता	1586000	1520000	2494000	5600000
01 04 मकान किराया भत्ता	200000	47000	166000	413000
01 05 परिवहन भत्ता	1314000	0	0	1314000
योग– वेतन एवं भत्ते	**4176000**	**3705000**	**4173000**	**12054000**
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)

(क) एकतालीस लाख छिहतर हजार रूपये मात्र। (ख) सैंतीस लाख पांच हजार रूपये मात्र।

(ग) एकतालीस लाख तीहतर हजार रूपये मात्र। (घ) एक करोड़ बीस लाख चौवन हजार रूपये मात्र।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–4572, दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि का दूसरे अन्य विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। विभिन्न विषय शीर्षो में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षो का नाम, मॉग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक–280/वि0, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) ब^{3} –13/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) ब^{3} –13/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, गुलजारबाग, पटना/सहरसा/बरौनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) ब^{3} –13/2016– 149 mv /पटना, दिनांक– 6.3.2017

प्रतिलिपिः– : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो०)/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.17

निदेशक

6/3/17